न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारीः– हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्याः– 45/2020

रामधन पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी लालगढ जाटान तहसील सादुलशहर जिला श्री गंगानगर (राज0)

वादी

बनाम

तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज0)

प्रतिवादी

वादपत्र बाबत घोषणा अन्तर्गत धारा 88 आरटीए
एवं दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट

उपस्थित विद्वान अधिवक्तागण
1. श्री कुन्दन लाल चुघ अधिवक्ता — वादी
2. राजपैरोकार — प्रतिवादी

दिनांक 26.02.2020

निर्णय

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के नाम से चक न0 9 एल एल जी तहसील सादुलशहर की जमाबन्दी सम्वत 2069 से 2072 खाता सं0 47 में मु0न0 11 किला न0 17/2 की 0.084 हैक्टर किला न0 18 ता 20 की 0.759 हैक्टर कुल 0.843 हैक्टर रकबा है। चक न0 3 एल एल जी तहसील सादुलशहर की जमाबन्दी सम्वत 2069 से 2072 खाता सं0 38/90 मुश्तरका खाता चावली देवी वगैरा की 10.373 हैक्टर रकबा में 0.843 हैक्टर रकबा है व चक न0 8 एल एल जी तहसील सादुलशहर की जमाबन्दी सम्वत 2069 से 2072 खाता सं0 84/75 में मु0न0 88 किला न0 6 ता 15 की 2.530 हैक्टर रकबा दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी का नाम चक न0 9 एल एल जी की जमाबंदी की खाता संख्या 103/51 में धनराम दर्ज हो गया जबकि वादी का नाम चक न0 3 एल एल जी व 8 एल एल जी में रामधन दर्ज है। वादी का नाम आधार कार्ड व मतदाता परिचय–पत्र में रामधन दर्ज है। जबकि राजस्व रिकार्ड मे वादी का नाम चक न 0 9 एल एल जी में धनराम दर्ज है। अन्य चको में वादी का नाम राजस्व रिकार्ड मे रामधन दर्ज है। चक न 0 9 एल एल जी के खाता संख्या 103/51 में वादी का नाम रामधन दर्ज न होने के कारण वादी के हितो पर प्रतिकुल असर पड रहा है वादी यह दुरूस्ती करवाने का अधिकारी है कि वादी का नाम राजस्व रिकार्ड के चक न0 9 एल एल जी तहसील सादुलशहर की जमाबन्दी सम्वत 2073 से 2076 खाता सं0 103/51 खाता धनराम में रामधन दर्ज किया जावे। वादी ने बैंक से लिमिट प्राप्त कर रखी है। वादी ने जो लिमिट बैंक से प्राप्त की है उसमें वादी का नाम रामधन दर्ज है। वादी को बैंक के अधिकारीण ने बताया कि आप चक न0 9 एल एल जी की खाता संख्या 103/51 की जमाबंदी में अपना नाम दुरूस्त करवाओ क्योकि जमाबंदी में रामधन की बजाय धनराम दर्ज है। तब वादी तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर के पास गया ओर उन्हे निवेदन किया कि आप रिकार्ड मे यह दुरूस्ती कर दो कि चक न0 9 एल एल जी जमाबन्दी सम्वत 2073 से 2076 खाता सं0 103/51 मे धनराम की जगह रामधन दर्ज कर दो ताकि वादी बैक से ऋण प्राप्त कर सके तो तहसीलदार सादुलशहर ने कहा कि पहले सरपंच से रिपोर्ट करवाओ कि रामधन व धनराम एक ही व्यक्ति है वादी ने सरपंच से रिपोर्ट करवाकर प्रमाण पत्र तहसीलदार साहब सादुलशहर को पेश किया। लेकिन

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर

Scanned by CamScanner

तहसीलदार साहब सादुलशहर ने दिनांक 08.02.2020 को राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्ती करने से इन्कार कर दिया और कहा कि आप माननीय उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर मे वादपत्र पेश करो, बस यही विनाय मुखास्मत वादपत्र है।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिए समन तलब किया गया। प्रतिवादी की ओर से राजपैरोकार ने रिपोर्ट प्रस्तुत की। वादपत्र में किसी प्रकार का विरोध नही होने पर बहस उभय पक्ष की सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वादपत्र को डिक्री किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन करने एंव बहस सुनने के उपरान्त निष्कर्ष है कि वादी का नाम आधार कार्ड व मतदाता परिचय पत्र व अन्य जमाबंदियो में रामधन दर्ज है। चक न0 9 एल एल जी की खाता संख्या 103/51 की जमाबंदी में धनराम दर्ज है। जिसको दुरूस्त करने हेतु वादी ने तहसीलदार सादुलशहर के समक्ष प्रार्थना–पत्र भी प्रस्तुत किया था। जिन्होने अपनी रिपोर्ट में यह दर्ज किया कि एसडीएम साहब सादुलशहर के समक्ष वाद दायर कर अनुतोष प्राप्त करें तत्पश्चात् वादी ने वादपत्र पेश किया। वादपत्र के साथ देवीलाल, नत्थूराम के शपथ–पत्र व सरपंच ग्रामपंचायत लालगढ जाटान द्वारा जारी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया। जिसमें वादी का नाम रामधन बताया गया है। इस प्रकार वादी ने अपने दावा को दस्तावेजी साक्ष्य एवं बहस के आधार पर बखूबी साबित किया है। ऐसी स्थिति में वाद वादी मुताबिक दस्तावेजी साक्ष्य से स्वीकार कर लिये जाने पर डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

अतः वाद दावी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि चक न0 9 एल एल जी तहसील सादुलशहर की जमाबन्दी सम्वत 2073 से 2076 खाता सं0 103/51 खाता धनराम मे दर्ज धनराम की जगह पर रामधन पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी लालगढ जाटान दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद किया जावे उक्तानुसार ही राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। तहसीलदार सादुलशहर को पालनार्थ पत्र जारी हो। उक्तानुसार ही डिक्री जारी हो। पत्रावली फैंसला शुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 26.2.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

26.2.2020

हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
सादुलशहर

Scanned by CamScanner

संख्याक–01

मूल वाद में डिक्री (आदेश 20 के नियम 6 ओर 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारीः– हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्याः– 45/2020

रामधन पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी लालगढ जाटान तहसील सादुलशहर जिला श्री गंगानगर (राज0)

वादी

बनाम

तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज0)

प्रतिवादी

वादपत्र बाबत घोषणा अन्तर्गत धारा 88 आरटीए
एवं दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट

डिक्री

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ हवाई सिंह यादव वास्ते इनफिसाल कत्तई रोबरू हमारे बहाजरी श्री कुन्दन लाल चुघ वकील वादी मिन जामिन मुदई राजपैरोकार स्टेट प्रतिवादी मिन जामिन मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता है व वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार सादुलशहर को आदेशित किया जाता है कि चक न0 9 एल एल जी तहसील सादुलशहर की जमाबन्दी सम्वत 2073 से 2076 खाता सं0 103/51 खाता धनराम मे दर्ज धनराम की जगह पर रामधन पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी लालगढ जाटान दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। उक्तानुसार ही राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। तहसीलदार को पालनार्थ पत्र जारी हो।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं न्यायालय की मुद्रा से दिनांक 26.2.2020 को जारी की गई।

26.2.2020
हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
सादुलशहर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Hawai Singh Yadav
Date: 2020.03.17 12:48:12 IST
Reason: SelfAttested
Location: